13/11/17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभय पक्ष के वकीलों की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा बताया गया है कि ग्राम भंडारिया पटवार हल्का राजपुर त० डूंगरपुर के खाता सं. नया 149 पुराना 128 की आराजियात किता 5। रकबा 23 बीघा। बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थी की दादी स्व इन्तोक देवी के जरिये वसीयत स्व. इन्तोक देवी के पिता स्व. दिप सिंह से प्राप्त हुई। प्रार्थी के पिता का देहान्त बचपन में हो जाने से श्रीमती इन्तोक विपक्षी सं. 1 राम सिंह के पास रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रही थी इसका फायदा विपक्षी सं. 1 ने उठाते हुए प्रार्थी की बिना जानकारी में श्रीमती इन्तोक से अपने नाम वसीयत करवाली एवं श्रीमती इन्तोक की मृत्यु के पश्चात् सम्पूर्ण आराजीयात का अपने नाम से नामान्तरण खुलवा लिया जिसे निरस्त कर प्रार्थी का नाम (विपक्षीगण) प्रतिवादी के साथ इन्द्राज करवाने बाबत् इस न्यायालय में धारा 188 RT Act दावा बाबत इन्द्राज दुरस्त बाबत् अन्तर्गत धारा 135, 136 RT Act एवं वसीयतनामा दिनांक 16/8/2001 को शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने के लिए इस न्यायालय में पेश किया है जो विचारा-धीन है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में बताया गया कि विवाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी की दादी को उसके पिता से प्राप्त हुई थी इसलिए उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से उनका भी इसमें हक होने से प्राथमिक रूप से वाद में सफलता मिलने की सम्भावना है, प्रार्थी उक्त आराजीयात के आधे हिस्से पर संयुक्त रूप से लम्बे समय से काश्त करते आ रहे हैं इसलिए सुविधा का संतुलन

भी उनके पक्ष में है एवं यदि विपक्षी ने उक्त आधिपत्य को विहन कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ऐसी स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। वकील अप्रार्थी ने बहस मे बताया कि विपक्षी सं. 1 को विवादग्रस्त भूमि उनकी माता से जरिये वसियत प्राप्त हुई है इस कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान इसमे लागू नही होते हैं। श्रीमती इन्दोक विपक्षी सं. 1 की माता को उक्त भूमि उनके पिता से जरिये वसियत प्राप्त होने से उक्त सम्पत्ति उनकी स्व अर्जित सम्पत्ति थी जिसकी वसियत करने का उनको पूर्ण अधिकार था। वसियत से प्राप्त उक्त सम्पत्ति पर अब विपक्षी सं. 1 का पूर्ण अधिकार है। इस कारण प्राथमिक रूप से प्रार्थी के वाद मे सफलता मिलने की सम्भावना नही है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथन के पक्ष में निम्न साईटेशन पेश किये – (i) 2001 DNJ (SC) 510

(ii) 2010 DNJ (SC) 174

(iii) 2010 DNJ (SC) 175

वकील विपक्षी द्वारा बताया गया कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का संयुक्त कब्जा न कभी रहा है न ही वर्तमान मे है, इस संबंध प्रार्थी द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रार्थी का कब्जा साबित हो सके ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वकील प्रार्थी ने अपने कथन के पक्ष में निम्न साईटेशन पेश किये-

–(i) 2015 (1) DNJ (Raj) 227

(ii) 2017 (2) DNJ (Raj) 970

वकील विपक्षी द्वारा आगे बहस में बताया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनो कंडिशन मे से अगर एक भी नहीं पायी जाती है तो निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है, इस संबंध मे साईटेशन 1996 DNJ (Raj) 12 भी वकील विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मैंने पत्रावली में सम्मिलित प्रार्थना पत्र, जवाब

Scanned by CamScanner

एवं दस्तावेज का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी एवं वकील विपक्षी की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी प्रतिलिपी (संवत् 2069-2072) के अनुसार ग्राम भंडारिया पटवार हल्का राजपुर त० डूंगरपुर की खाता सं. नया 149 एवं पुराना 128 की आराजीयात भूमि किता 5 रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा खातेदार रामसिंह को जरिये वसियत अपनी माता श्रीमति इन्तोक से आना जाहीर पाया। वकील प्रार्थी के अनुसार एवं जवाब विपक्षी के अनुसार श्रीमति इन्तोक को भी उक्त सम्पत्ति अपने पिता से जरिये वसियत प्राप्त हुई। प्रार्थी के हक एवं अधिकार तो दावे में तय होना है किन्तु प्रार्थी गण उक्त भूमि के प्राथमिक रूप से पैतृक होने के संबंध मे कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये गये नहीं उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने के दस्तावेज/साक्ष्य इस स्तर तक पेश किये गये। ऐसी स्थिति मे मैं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझता हूँ। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/11/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कैफ़ियत शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर

दाखिल दफ्तर हो।

13/11/17

Scanned by CamScanner